SPEED POST /OUT TODAY/ MOST URGENT

GOVT. OF NCT OF DELHI DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI (RTI BRANCH, DTTE)(Email:- piohqtte.delhi@gov.in)

NO.F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.4852/1878-79 Dated: 25.9.19

Smt. Kamla Sharma W/o Sh. Kishan Chand, H.No. M-29 Upper Ground Floor,

Back Side, Hari Nagar,

New Delhi- 110064

Sub: Supply of information under DRTI Act-2001. Sir,

With reference to your application ID No. 4852 dated 28/08/2019 addressed to the undersigned regarding supply of information under Delhi Right to Information Act 2001. The requisite information is as under:-

Information as per Sl. No. 1 & 6

In this regard, the attention is invited towards CIC decision in the matter No. CIC/BS/A/2014/0017893/8190 dated 27/07/2015 filed by Modh. Iqbal Soharatali Ansari wherein the CIC referred decision of the Supreme Court of India in the SLP © No. 27734 of 2012 (Girish R. Deshpande V/s CIC and other) in which it has been held that:-

"The performance of an employee/Officer in an organization is primarily amatter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual".

The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would be a larger public interest. The information sought by the Appellant in this case is about some complaints made against a government official and any possible action the authorities might have taken on those complaints. It is, thus, clearly the kind of information which is envisaged in the above Supreme Court Order. Therefore, the information is completely exempted from disclosure under the provisions of RTI Act which both the (PIO) and the Appellate Authority have rightly cited in their respective matters.

As per the above cited decision information relating ato complaints against public servants and action taken therein is exempted under Section 8 (1) (j) of the RTI Act unless larger public purpose is demonstrated.

(RAJANISH SINGH)
JOINT DIRECTOR, DTTE

Copy for information to:-

1. The System Analyst (Computer Branch), DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).



दिनांक:-26 / 08 / 2019

श्री मान सक्षम अधिकारी जी, (competent Authority),दिल्ली सरकार, प्रशिक्षण एंवम् तकनीकी शिक्षा विभाग, मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, नई दिल्ली – 110088

विषय:- दिल्ली सूचना के अधिकार 2001 के अर्न्तगत सूचना।

1852/8000

महोदय,

निवेदन यह है की दिल्ली सूचना के अधिकार 2001 के अर्न्तगत निम्न सूचना हेतू।

1	आवेदक का नाम		कमला शर्मा	
2	पता		एम.—29, अपर ग्राउण्ड फलोर, पिछली साईड, हरिनगर, नई दिल्ली— 110064	
3	सूचनाओं का विवरण		अनियतिताओं के सन्दर्भ में।	
	सम्बन्धित विभाग		प्रशिक्षण एवंम् तकनीकी शिक्षा विभाग, मुनि माया राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली – 110088	
	मॉगी गई सूचनाओं का विवरण			
i	आवश्यक	1.	विभाग DTTE में Joining से पहले श्री अजय वशिष्ठ जी जिस जिस विभाग में	
	सूचनाओ		कार्यरत थे। उनका पूरा ब्यौरा फाईल नोंटिंग सहित देने का कष्ट करें।	
	का विवरण	2.	विभाग DTTE में Joining से पहले श्री अजय विशष्ट जी जिस जिस विभाग में कार्यरत थे। उनके कार्यालय का पूरा पता तथा नाम बताया जाये।	
		3.	विभाग DTTE में पिछले 20 सालों में श्री अजय वशिष्ट जी के उप्पर कितनी	
			भ्रष्टाचार की तथा Sexual Harassment की शिकायतें अन्य लोंगों द्वारा	
			विभाग DTTE में की गई है। इसका पूरा ब्यौरा फाईल नोंटिंग सहित देने का	
			कष्ट करें।	
		4.	आई0 टी0 आई0 मालविय नगर में श्री अजय विशष्ठ जी के कार्यकाल के दौरान यहाँ के ओ0 एस0 श्रीमान गोपाल राम जी की शिकायत पर श्री अजय विशष्ट	
			जी को जो वार्निंग दी गई थी। उसकी सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें।	
	i	5.	आई0 टी0 आई0 मालविय नगर में श्री अजय विशष्ट जी के कार्यकाल के दौरान	
i .			यहाँ पर जो अग्निकाण्ड हुआ था। उस पर श्री अजय वशिष्ठ जी को जो वार्निंग	
1	i i		दी गई थी। उसकी सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें।	
:		6.	श्री अजय विशष्ठ जी को बीठ टीठ सीठ पूसा से आईठ टीठ आईठ जाफरपुर	
1			किन किन कारणों अथवा शिकायत के चलते स्थनान्तरण किया गया था। इसका	
1	रामय अवधि	2000-2	पूरा ब्यौरा फाईल नोंटिंग सहित देने का कष्ट करें।	
ii	1			
: !!!	1	विवरण अनियतिताओं के सन्दर्भ में कार्यवाही हेतू।		
4	मरे द्वारा जो सूचना दी गई है वह खण्ड 6 के अधिनियम कानून के अर्न्तगत नही आती हैं और मेरी जानकारी के अर्न्तगत यह सभी सूचनायें आपके कार्यात्मय से सम्बन्धित हैं।			

मैं भारतीय पोस्टल आर्डर सख्या 44F176737 & 44F176738 70C884465 ओर को दिल्ली आर. टी. आई कानून 2001 के अर्न्तगत 25/ – रूपये के शुल्क के साथ श्री मान समर्थ प्राधिकारी जी, के कार्यालय हेतू जमा कर रहा हूँ।

दिनांक:-26/08/2019

28.8.19

कमला शर्मा पत्नी श्री किशन चन्द जी एम.-29, अपर ग्राउण्ड फलोर, पिछली साईड, हिर नगर, नई दिल्ली-110064

DA

753/RTI/TTE